



कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।

E-Mail - atma_dumka@rediffmail.com

Website - http://www.atnadumka.co.in

Tel. 06434-237227

विज्ञापन सं० 04/306/04-01-2023

दुमका जिला के किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) तेलहन योजनान्तर्गत कृषि यंत्र का वितरण कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से अनुदान पर किसानों के बीच किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है -

क्र० सं०	कृषकों को अनुदानित दरों पर दी जाने वाले कृषि यंत्र एवं अन्य	तेलहन		कुल	अनुदान	
		ST, SC, Small & Marginal, Women भौतिक लक्ष्य	Other भौतिक लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	मुल्य का 50% अथवा अधिकतम अनुदान की राशि प्रति इकाई (रु० में) दोनों में जो कम हो
1	मानव चालित स्प्रेयर	33	35	68	750/-	600/-
2	पावर स्प्रेयर	20	28	48	3000/-	3800/-
3	रोटाभेटर	7	5	12	42000/-	34000/-
4	स्प्रिंकलर सेट	4		4	The cost for sprinkler irrigation system for 1ha would be Rs. 19542/- to Rs. 21901/- per ha depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY	
5	पम्पसेट	40		40	10000/-	
6	कैरिंग पाईप (HDPE)	937		937 meter	15,000/- (अधिकतम), 50रु प्रति मीटर HDPE पाईप, 35रु प्रति मीटर PVC पाईप, 20रु प्रति मीटर HDPE	
7	Seed Storage Bin	380		380	1000/-	
8	Cultivator	9	8	17	10000/-	8000/-
9	Seed Treating Drum	7	8	15	10000/-	8000/-

- * अधिक जानकारी के लिये परियोजना निदेशक, आत्मा, दुमका (Mob - 8210381585), वेबसाइट- www.atnadumka.co.in एवं प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क की जा सकती है।
- * अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र का वितरण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वहताक्षरित आवेदन प्रखंड में जमा कर टोकन रसीद के बाद ही अनुदान प्राप्त होगा।
- * यंत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रखंड के आत्मा कार्यालय एवं जिला आत्मा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- * आवेदक स्वीकृति आदेश के पश्चात् टोकन रसीद के आधार पर कृषि यंत्र नामित जीलर से पुरा मुगतान कर प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि DBT के माध्यम से लाभुक कृषकों के खाता में हस्तान्तरण किया जाएगा।

डा० दिवेश कुमार सिंह
परियोजना निदेशक,
आत्मा, दुमका।